न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष/त्वरित न्यायालय प्रथम, सहारनपुर।

सत्र परीक्षण संख्या 421/2017

सरकार बनाम कल्लू।

अन्तर्गत धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता
थाना नकुड़, जिला सहारनपुर।
मु0 अ 0 सं0 452/2016

व

सत्र परीक्षण संख्या 2536/2021

सरकार बनाम कल्लू।

अन्तर्गत धारा 414 भारतीय दण्ड संहिता
थाना नकुड़, जिला सहारनपुर।
मु0 अ 0 सं0 453/2016

व

सत्र परीक्षण संख्या 615/2018

सरकार बनाम कल्लू।

अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम
थाना नकुड़, जिला सहारनपुर।
मु0 अ 0 सं0 455/2016

दिनांकः01.08.2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त कल्लू कई नियत तिथियों से अनुपस्थित चला आ रहा है। अभियुक्त को हाजिर किये जाने हेतु न्यायालय द्वारा कई बार प्रोसिस निर्गत किये गये। किन्तु अभियुक्त का कोई पता नही चल सका। फलस्वरूप अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानतीय वारन्ट, धारा 82/83 दं.प्र.सं. की आदेशिकाऐं न्यायालय द्वारा जारी किये गये जिस पर थाना से प्राप्त आख्या दी है कि अभियुक्त कल्लू पुत्र मैनूदीन निवासी मानकमऊ की धारा 82 दं.प्र.सं. की कार्यवाही मुझ उपनिरीक्षक द्वारा तस्दीक की गयी तो अभियुक्त कल्लू अपने मस्कन पर दस्तयाब नहीं हुआ। घर पर ताला लगा है। धारा 82 दं.प्र.सं. का नोटिस भी अभियुक्त कल्लू के घर पर चस्पा किया गया। मौहल्ले वालो से जानकारी हुई कि कल्लू उपरोक्त जेल से छूटने के बाद वापस घर पर नहीं आया है। घर काफी समय से बन्द पड़ा है। उक्त आख्या के अनुक्रम से संबंधित थाने से धारा 83 दं.प्र.सं. की कार्यवाही हेतु आख्या आहूत की गयी। थाना नकुड़ से प्राप्त आख्या अनुसार मुझ है० का० योगेन्द्र कुमार द्वारा की गयी जांच में पाया कि अभियुक्त कल्लू उर्फ शफीक पिछले कई वर्षों से ग्राम मानकमऊ में नहीं आया है व मानकमऊ में कल्लू की किसी प्रकार की कोई चल–अचल सम्पत्ति नहीं है। वर्मान में हैदर अली पुत्र शफीक इहमद उर्फ कल्लू निवास कर रहे हैं। हैदर अली ने 2010 में सम्पत्ति का बैनामा करा लिया था। जो कि वर्तमान में मानकमऊ में ही निवास कर रहे हैं। जिसकी प्रमाणिकता के लिए बैनामा की छायाकापि साथ संलग्न है तथा वर्मान पार्षद के द्वारा भी अपनी लैटर पैड पर लिखित में दिया गया है कि वर्तमान में जो सम्पत्ति है वह हैदर अली की है। उक्त आख्या के साथ संबंधित थाने द्वारा विक्रय पत्र हैदर अली बनाम श्री अतर सिंह दाखिल किया गया है।

अभियुक्त कल्लू के विरूद्ध समस्त कार्यवाही की गयी परन्तु अभियुक्त उपस्थित नही आ रहा है, जिस कारण अभियुक्त के निकट भविष्य में न्यायालय में उपस्थित आने की कोई सम्भावना प्रतीत नही हो रही है। ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त के विरूद्ध स्थाई वारन्ट जारी किया जाना न्यायोचित होगा ।

अभियेाजन पक्ष की ओर से धारा 299 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत साक्षी सीडब्लू–1 कांस्टेबल नरेन्द्र कुमार को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त कल्लू पुत्र मैनूदीन निवासी मानकम के विरूद्ध जारी किये गये एन.बी.डब्लू एवं धारा 82 दं.प्र.सं. की कार्यवाही के

अनुपालन में थाना कुतुबशेर से उपनिरीक्षक कुलवन्त सिंह को रवाना किया गया था उपनिरीक्षक कुलवन्त सिंह द्वारा अभियुक्त के मस्कन पर दबिश दी गयी नहीं मिला एवं अभियुक्त के मस्कन पर धारा 82 दं.प्र.सं. की उद्घोषणा चस्पा की गयी एवम मुनादी व ऐलान करवाया गया। एस.आई. पवन कुमार द्वारा प्रेषित की गयी रिपोर्ट 82 दं.प्र.सं. की उद्घोषणा चस्पा करते हुए फोटो के साथ संलग्न है मैं एस.आई. कुलवन्त सिंह के साथ कार्यरत् हूं जिसके लेख व हस्ताक्षर को मैं पहचानता हूं। रिपोर्ट पर एस.आई कुलवन्त सिंह के हस्ताक्षर है जिनकी मैं पुष्टि करता हूं।

मैने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से दर्षित है कि थाना गंगोह जिला सहारनपुर की पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 307 भा.दं.सं. व 414 भा०दं०सं० व 4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर यह दाण्डिक वाद संस्थित किया गया है।

अभियुक्त को आहूत किया गया। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। अभियुक्त कल्लू आरोप विरचन के उपरान्त न्यायालय मे उपस्थित नहीं आया। अभियुक्त के विरूद्ध अजमानतीय अधिपत्र व आदेशिकाएं धारा 82 व 83 दण्ड प्रक्रिया संहिता निर्गत की गयी तथा अभियुक्त को न्यायालय द्वारा फरार घोषित किया गया है।

अभियोजन को साक्ष्य का अवसर दिया गया जिस संबंध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा आदेश पत्र पर अंकित किया गया कि अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर साक्ष्य दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 299 द.प्र.सं. की कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **कल्लू** के विरूद्ध इस आशय का स्थायी अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया जाये कि अभियुक्त जब भी वह कहीं भी प्रकट होता है, उक्त अजमानतीय अधिपत्र का निष्पादन कर, उसे सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित थाना एवं एस.एस.पी. को प्रेषित की जाये।

प्रस्तुत वाद की पत्रावली अभियुक्त **कल्लू** के विरूद्ध विचारण हेतु सुरक्षित रखी जाये और यदि अभियुक्त गिरफ्तार होकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो पत्रावली को सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाये, तब तक प्रस्तुत वाद की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये एवं पत्रावली का कोई भी अंश न्यायालय की बिना अनुमति के विनिश्ट न किया जाये। यह लाल स्याही से अंकित किया जाये। अभियुक्त कल्लू के जमानतदारों के विरूद्ध 446 दं.प्र.सं. की कार्यवाही करते हुए जमानतदारों के विरूद्ध वाद प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज हो।

दिनांक–01.08.2026

(श्रेय शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरितन्यायालय–प्रथम
,सहारनपुर।
(JO.Code.–UP3845)